ADVISORY TO PARENTS

1. Sainik School Nalanda is a fully residential institution functioning under the Sainik Schools Society, Ministry of Defence, Government of India. The school is established with the objective of preparing boys and girls for entry into the National Defence Academy (NDA) and other prestigious institutions, nurturing them to become future leaders of the Armed Forces.

2. As many of our cadets are staying in a hostel for the first time, it is essential that strict discipline, safety norms, and institutional guidelines are followed to help them adapt to residential life and achieve their long-term goals.

Use of Mobile Phones and Electronic Gadgets

3. Despite repeated instructions and advisories issued earlier and discussions held during parent-teacher meetings, it has been observed that some cadets continue to bring and use mobile phones and other electronic gadgets in the hostel.

4. Parents are strictly advised not to provide any kind of mobile phone or personal electronic gadget to their wards during visits or when their wards are on vacation/ leave. The use of such gadgets is a serious hindrance to discipline, focus, academic excellence and character building of cadets.

5. If any prohibited gadget is found in a cadet's possession:

(a) The item will be confiscated by school authorities.
(b) Strict disciplinary action will be taken as per the laid-down SOPs of Sainik School Nalanda.

Prohibited Items in the Hostel

6. For the safety and well-being of all cadets, the following items are strictly prohibited in the hostel due to potential hazards:

(a) Mobile phone, iPad, tablet, smartwatch
(b) Electric kettle (risk of fire and electric shock)
(c) Induction stove
(d) Electric iron
(e) Any other electrical appliances or gadgets

7. The above mentioned items pose risks such as short circuits and hindrance to electric generator appliances, as mentioned in the SOP.

8. Possession of excess cash by cadets is discouraged. Parents are advised to provide only the prescribed monthly pocket money to promote financial discipline among cadets, preventing unnecessary expenditure and misuse.

Food Safety and Health

9. Cadets are not permitted to:
(a) Order food from online delivery platforms
(b) Buy food from outside vendors or unauthorized sources

10. Cadets found with prohibited items will face suitable punitive measures.

11. Parents are requested to cooperate with the school administration in enforcing these guidelines. Your support is crucial in maintaining discipline, safety, and a healthy learning environment for all cadets.

12. Together, let us work towards shaping disciplined, responsible, and resilient future leaders of the nation.

अभिभावकों के लिए परामर्श

1. सैनिक स्कूल नालंदा, सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत संचालित एक पूर्णतः आवासीय (रेजिडेंशियल) संस्था है। इस विद्यालय की स्थापना का उद्देश्य बालक एवं बालिकाओं को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) तथा अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रवेश हेतु तैयार करना है, ताकि उन्हें सशस्त्र बलों के भावी नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित किया जा सके।

2. चूँकि हमारे अनेक कैडेट पहली बार छात्रावास (हॉस्टल) में रह रहे हैं, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि वे आवासीय जीवन के अनुरूप ढलने तथा अपने दीर्घकालीन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कठोर अनुशासन, सुरक्षा मानकों एवं संस्थागत नियमों का पालन करें।

मोबाइल फोन एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग

3. पूर्व में जारी बार-बार के निर्देशों, परामर्शों तथा अभिभावक-शिक्षक बैठकों में चर्चा के बावजूद यह देखा गया है कि कुछ कैडेट छात्रावास में मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर आ रहे हैं तथा उनका उपयोग कर रहे हैं।

4. अभिभावकों को कड़े शब्दों में परामर्श दिया जाता है कि वे अपने पाल्य को किसी भी प्रकार का मोबाइल फोन अथवा व्यक्तिगत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न दें—चाहे वह अभिभावक मुलाकात के दौरान हो या अवकाश/छुट्टी के समय। ऐसे उपकरणों का उपयोग अनुशासन, एकाग्रता, शैक्षणिक उत्कृष्टता एवं चरित्र निर्माण में गंभीर बाधा उत्पन्न करता है।

5. यदि किसी कैडेट के पास कोई प्रतिबंधित उपकरण पाया जाता है, तो:

(क) उक्त वस्तु को विद्यालय प्रशासन द्वारा जब्त कर लिया जाएगा।

(ख) सैनिक स्कूल नालंदा की निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के अनुसार कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

छात्रावास में प्रतिबंधित वस्तुएँ

6. सभी कैडेटों की सुरक्षा एवं कल्याण को ध्यान में रखते हुए, संभावित खतरे के कारण छात्रावास में निम्नलिखित वस्तुएँ पूर्णतः प्रतिबंधित हैं:

(क) मोबाइल फोन, आईपैड, टैबलेट, स्मार्टवॉच

(ख) इलेक्ट्रिक केतली (आग लगने एवं विद्युत झटके का खतरा)

(ग) इंडक्शन स्टोव

(घ) इलेक्ट्रिक आयरन

(ङ) कोई भी अन्य विद्युत उपकरण या गैजेट

7. उपर्युक्त वस्तुएँ शॉर्ट सर्किट, आग लगने तथा विद्युत जनरेटर एवं अन्य विद्युत प्रणालियों में बाधा उत्पन्न करने का कारण बन सकती हैं, जैसा कि SOP में उल्लिखित है।

8. कैडेटों के पास आवश्यकता से अधिक नकद धनराशि रखना वांछनीय नहीं है। अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे केवल निर्धारित मासिक पॉकेट मनी ही प्रदान करें, जिससे कैडेटों में वित्तीय अनुशासन विकसित हो सके तथा अनावश्यक खर्च एवं दुरुपयोग से बचा जा सके।

खाद्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य

9. कैडेटों को निम्नलिखित की अनुमति नहीं है:

(क) ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से भोजन मंगाना

(ख) बाहरी विक्रेताओं अथवा अनधिकृत स्रोतों से खाद्य सामग्री खरीदना

10. प्रतिबंधित वस्तुओं के साथ पाए जाने वाले कैडेटों के विरुद्ध उपयुक्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

11. अभिभावकों से अनुरोध है कि वे इन नियमों के पालन में विद्यालय प्रशासन का पूर्ण सहयोग करें। आपका सहयोग विद्यालय में अनुशासन, सुरक्षा तथा स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने हेतु अत्यंत आवश्यक है।

12. राष्ट्र के लिए अनुशासित, जिम्मेदार एवं सुदृढ़ चरित्र वाले भावी नेतृत्वकर्ताओं के निर्माण की दिशा में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है।